

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सस हॉस्टल, डी0के0एस0 भवन परिसर रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771-2234451 फैक्स नं. 0771-222212, ई-मेल: cgdme@rediffmail.com

क्रमांक/3667/ छात्र/संचिशि/18

रायपुर, दिनांक 9/3/2018

//सूचना//

सन् 2018 में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा अधीन शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में संचालित चिकित्सा (MBBS)/दंत चिकित्सा (BDS)/फिजियोथेरेपी (BPT) स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश में रुचि रखने वाले आवेदक एवं उनके अभिभावक के सूचनार्थ यह विज्ञापन प्रकाशित है, ताकि ऑनलाईन आवेदन के समय आपके पास निम्न मूल दस्तावेज उपलब्ध हो। काउंसिलिंग के संवीक्षा एवं प्रवेश प्रक्रिया में उपलब्ध करा सकें तथा जिससे प्रवेश में पात्र रहें एवं व्यर्थ की कठिनाई और प्रवेश से वंचित होने से बचे।

निम्न संवीक्षा में दस्तावेजों की सूची आपके ऑनलाईन पंजीयन आवेदन के समय उपलब्ध होना चाहिए, जो कि संवीक्षा में प्रदर्शित किये जाये तथा प्रवेश हेतु (ब) के अंतर्गत उल्लेखित दस्तावेज भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(अ) काउंसिलिंग की संवीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची :-

1. नीट परीक्षा प्रवेश पत्र
2. नीट परीक्षा अंक सूची
3. कक्षा 10वी की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र
4. कक्षा 12वी की अंकसूची
5. छत्तीसगढ़ राज्य वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र (प्रारूप देखें)
6. छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (प्रारूप देखें)
7. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र सहित विगत तीन वर्षों का आय प्रमाण पत्र (जो कि शासकीय/केन्द्र शासन के कार्यालय का फार्म-16 अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो)
8. संवर्ग सैनिक/दिव्यांगजन (विकलांग)/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु परिशिष्ट अनुसार प्रमाण पत्र (नोट : विकलांग हेतु अवधि एवं जारी करने वाले कार्यालय परिशिष्ट अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य है) (यदि लागू हो तो) (प्रारूप देखें)

(ब) संवीक्षा उपरान्त महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज सूची एवं शुल्क :-

1. आबंटन पत्र
2. ग्रामीण सेवा बंध पत्र (बॉण्ड) (केवल एमबीबीएस पाठ्यक्रम में लागू)
3. पाठ्यक्रम छोड़ने का बंध पत्र (ब्रेकेज बॉण्ड) (केवल एमबीबीएस पाठ्यक्रम में लागू)
4. मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट
5. ट्रान्सफर सर्टिफिकेट/ट्रान्सफर सर्टिफिकेट मय चरित्र प्रमाण पत्र
6. चरित्र प्रमाण पत्र (स्कूल/महाविद्यालय/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी)
7. माईग्रेसन सर्टिफिकेट (यदि अन्य विश्वविद्यालय का छात्र है तो शपथ पत्र सहित समय प्रदान किया जा सकेगा)
8. गेप सर्टिफिकेट (Gap Certificate) (यदि लागू हो तो)
9. आधार कार्ड/अन्य मान्य फोटो परिचय पत्र (जैसे : स्कूल अथवा महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस/पासपोर्ट)
10. पासपोर्ट साईज कलर अथवा ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटो 04 प्रति, जो कि एक ही निगेटिव से बनी हो
11. शुल्क - (i) शिक्षण शुल्क
(ii) नॉन-गवर्नमेंट शुल्क,
(iii) निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु एक वर्ष की शिक्षण शुल्क का बैंक गॉरण्टी

क्रमशः...2...

उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वयं अभिप्रमाणित दो सेट फोटो कॉपी लाना आवश्यक है। अंतिम आबंटन प्रवेश प्रक्रिया में समान दिवस पर आबंटन एवं प्रवेश दिया जाता है तथा महाविद्यालय प्रवेश के समय अभ्यर्थी को, उपरोक्त (अ) एवं (ब) दोनों दस्तावेज एवं शुल्क प्रस्तुत करने पर ही पात्र होंगे तथा अंतिम आबंटन में (अ) एवं (ब) के दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद आबंटन पत्र जारी किया जाता है।

नोट :-

1. राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में संचालित चिकित्सा/दंत चिकित्सा/फिजियोथेरेपी/स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग संचालनालय द्वारा किया जाता है। अतः आप ऐसे व्यक्ति/एजेण्ट जो आपको पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाने का प्रलोभन देते हो, उनके छद्म-जाल न फँसे और न ही कोई राशि उन्हें दें।
2. उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेजों के प्रारूप कार्यालय की वेबसाइट (www.cgdme.co.in) का अवलोकन कर दस्तावेज पूर्ण करें, तथा काउंसिलिंग प्रवेश सूचना हेतु नियमित वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, ताकि अद्यतन जानकारी आपको प्राप्त हो सकें।
3. अंतिम आबंटन में अभ्यर्थी को आबंटन स्थल पर ही प्रवेश लेना होता है तथा इसके पश्चात् रिक्त सीटे कालातित (Lapse) हो जाती है, अतः उपरोक्त (अ) व (ब) के सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् पात्र आवेदकों को ही आबंटन जारी किया जाता है।



संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हेतु प्रारूप

क्रमांक

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी
.....निवासी.....तहसील.....
जिलाछत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी है, क्योंकि : वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त की पूर्ति करता है :

1. वह (व्यक्ति) छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।
2. (क) वह (व्यक्ति) अथवा
(ख) उसके पालकों में से कोई - अथवा
(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।
3. उसके पालकों में से कोई भी -
(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा
(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है,
4. (क) वह स्वयं (व्यक्ति) अथवा
(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं ।
उपरोक्त शर्त के पूर्ति होने के बाद, व्यक्ति, नीचे दिये गये कम से कम एक शर्त की पूर्ति भी करेगा :
5. उसने छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है, में कम से कम 3 वर्ष तक अपनी शिक्षा प्राप्त की है ।
6. उसने छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्था से निम्न लिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों, अर्थात :-
(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा ।
(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडियट हायर सेकेंडरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा ।
(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा ।
7. अन्य सभी मामलों के लिये उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी होंगे:
(क) छत्तीसगढ़ राज्य को नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।
(ख) छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।
(ग) छत्तीसगढ़ राज्य में संवैधानिक या अन्य विधिक पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।
(घ) छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थी पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान ।

ऐसे बावत् जो उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार वास्तविक निवासी हैं, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी, छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी माने जायेंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

प्ररूप (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित

प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (माता/पिता का नाम)
..... जो कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालित परीक्षा
के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम)
..... के पिता/माता है।
(अ) थलसेना/वायुसेना/नौ सेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्त/सेवामुक्ति के समय वे ...
.....पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांक था।
(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौ सेना में पद पर सर्विस क्रमांक के
अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए है/सेवा के दौरान वे स्थायी
रूप से निःशक्तजन हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के

कार्यालय सील

प्ररूप (ब)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम) जो कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता हैं, भूतपूर्व प्रतिरक्षा कार्मिक है और स्थायी रूप से (स्थान) तहसील जिला छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवस्थापित है।

स्थान

दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील, सैनिक कल्याण अधिकारी

प्ररूप (स)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

.....
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी के
माता/पिता का नाम) जो कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री
..... (अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) है, वह थल सेना/वायु
सेना/नौ सेना में ओहदे पर सर्विस क्रमांक के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा
कार्मिक है और वह प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं। वे इस इकाई में दिनांक
..... से सेवारत है।

स्थान

दिनांक

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कार्यालय सील, कमांडिंग ऑफिसर

प्ररूप

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण - पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम)
..... श्री/सुश्री(अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम) के/की वैध संतान हैं।
जो श्री/सुश्री (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध संतान हैं श्री/सुश्री
(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला के कलेक्टर
कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक पर पंजीकृत हैं।

स्थान

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

दिनांक

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत
डिप्टी कलेक्टर से अन्यून स्तर का
राजस्व अधिकारी पदनाम एवं सील

अनुसूची - चार

प्रारूप
राज्य मेडिकल बोर्ड प्रमाण-पत्र


छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़
फोन नं.-0771-2234451, फैक्स नं. 0771-2222212 E-mail : cgdme@rediffmail-com

क्रमांक /

/संचिशि /

रायपुर, दिनांक /

प्रमाण पत्र



यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री पिता- श्री
उम्र-.....वर्ष (सत्यापित फोटोग्राफ) के आवेदन दिनांक.....के साथ संलग्न जिला/संभागीय
मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र क्रमांक....., दिनांक.....के परीक्षण एवं आवेदक के पूर्ण परीक्षण
उपरांत उनकी शारीरिक निःशक्ततापाई गई। उनकी कुल निःशक्तता प्रतिशत
है।

पहचान का निशान-

(अध्यक्ष)
राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य)
राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य)
राज्य मेडिकल बोर्ड